

ेषक,

राकेश वर्मा,
विशेष न्यायाधीश, एस0सी0/एस0टी0 एक्ट,
सीतापुर।

सेवा में,

माननीय महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा:

माननीय जनपद न्यायाधीश,
सीतापुर।

विषय:

वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि वर्ष 2020-2021 के क्रम सं0-1 (E) IV इजरा
वाद तथा क्रम सं0-1 (G) वर्क शार्ट डिस्पोजल प्रतिकूल प्रविष्टि के संबंध में
प्रत्यावेदन।

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि मेरी नियुक्ति जनपद प्रतापगढ़ में वर्ष 2018 से वर्ष 2021 तक रही है। मैं वर्ष 2020 से 2021 में अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, प्रतापगढ़ के पद पर कार्यरत रहा हूँ। माननीय प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, प्रतापगढ़ द्वारा वर्ष 2020-2021 में वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि के पैरा-1 (E) IV में " कोई इजरा वाद का निस्तारण नहीं किया गया है," अंकित की गयी है। इस संबंध में विनम्र निवेदन है कि मेरे द्वारा वार्षिक स्व-निर्धारण प्रपत्र वर्ष 2020-2021 के विवरण पत्र सं0-1 के क्रम सं0-2 इजरा वाद में 2 अन्य प्रकार के वादों का निस्तारण किया गया है जिसमें एक वाद वर्ष 2004 का और एक वाद वर्ष 2019 का निस्तारण होना अंकित है। तीन वाद पूर्व से लम्बित थे। तीन वाद अन्तरण द्वारा प्राप्त हुए। कुल छः वादों में से दो वाद का निस्तारण करते हुए चार वाद दिनांक 31.03.2021 को लम्बित रहे। इस प्रकार मेरे द्वारा दो इजरा वाद का निस्तारण किया गया है।

वर्ष 2020-2021 में कोविड काल के दौरान जिसमें लाकडाउन के कारण न्यायालय कार्य बाधित रहा है। पक्षकारों की उपस्थिति नगन्य रही है। पूरे वर्षभर कोविड-19 महामारी होने के कारण न्यायालय की कार्यवाही बाधित रही। इस कारण भी इजरा वादों का निस्तारण नहीं हो पाया है। मेरे द्वारा उपरोक्त समयावधि के अन्तर्गत इजरा वादों के निस्तारण हेतु पूरा प्रयास किया गया है।

वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि के कालम 1 (G) "वर्क डिस्पोजल क्रम किया गया है " को दर्शित किया गया है। इस संबंध में भी पुनः निवेदन है कि पूरे वर्ष 2020-2021 के दौरान कोविड-19 महामारी के कारण न्यायालय में कार्य बाधित रहा। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी समय-समय पर न्यायालयों में कार्य करने हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गये और लाकडाउन होने के कारण अधिकतर समय न्यायालय बन्द रहा जिससे न्यायालय का कार्य

h


प्रभावित हुआ और कोविड-19 महामारी के कम होने पर भी न्यायालय को कुछ समय के लिए अति आवश्यक कार्यों के लिए खोला गया तथा कुछ समय पश्चात् माननीय उच्च न्यायालय का यह भी निर्देश आया कि पक्षकारों की उपस्थिति न्यायालयों में नहीं रहेगी और न्यायालयों में लम्बित वादों में भी कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किये जायेंगे। मेरे द्वारा वर्ष 2020-2021 के दौरान निर्धारित कार्य (कोटा) करने का पूरा प्रयास किया गया है और उस दौरान जो भी कार्य हुआ उसके संबंध में मेरे द्वारा प्रपत्र के पैरा 7 में वर्णित किया है।

इस प्रकार मेरे द्वारा इजरा वादों का निस्तारण करने का पूरा प्रयास किया गया है और निर्धारित कार्य करने का भी पूरा प्रयास किया गया है। वर्ष 2020-2021 में कोविड महामारी के दौरान लाकडाउन होने, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार न्यायालय कार्य प्रभावित एवं बाधित रहा। न्यायालय पूरी तरह से खुलने पर मेरे द्वारा पूरी तरह से प्रयास किया गया और वादों के निस्तारण में पूरी निष्ठा व मेहनत से कार्य किया गया है। इससे पूर्व पिछले वर्षों में मेरे द्वारा निर्धारित कार्यों से ज्यादा ही कार्य किया गया है और भविष्य में भी निर्धारित कार्य से ज्यादा कार्य करने का पूरा प्रयास किया जायेगा।

अतः माननीय महोदय से विनम्र अनुरोध है कि तत्कालीन माननीय प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, प्रतापगढ़ द्वारा वर्ष 2020-2021 में दी गयी प्रतिकूल प्रविष्टि 1 (E) IV तथा 1 (G) को निरस्त करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय के सामने रखने की कृपा की जाये। प्रार्थी उदैव आभारी रहेगा।

सादर,

दिनांक: 25.07.2022

भवदीय,

 राकेश वर्मा 25/7/22
 विशेष न्यायाधीश, एस0सी0 / एस0टी0 एक्ट,
 सीतापुर।